ग्राम पंचायत चाह्ड़ी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, ज़िला काँगड़ा, हि० प्र० – 176047 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत चाह्ड़ी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती छाया देवी	01/04/2024 से 31/03/2025

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राजेश मेहरा	01/04/2024 से 09/07/2024
2.	श्री राजीव कुमार	10/07 /2024 से 31/03/2025

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री मोहिन्द्र कुमार	01/04/2024 से 31/03/2025

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री अमित कुमार	01/04/2024 से 31/03/2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत चाहड़ी के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेषों में अन्तर पाया जाना	0.52
2.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	20.01
3.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.71
4.	8.1	खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान पाया जाना	7.79
5.	8.2	स्त्रोत पर जी०एस०टी/टी०डी०एस०की कटौती न करने से सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि	0.11
6.	9	निर्माण कार्यो के अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे	0.73
7.	10	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.03

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत चाहड़ी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री कमल, अनुभाग

अधिकारी व प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06.06.2025 से 10.06.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2024-25	11/2024	03/2025

<u>**अस्वीकरण (Disclaimer):**</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5400/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 19/2025 दिनांक 10.06.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 58 दिनांक 10.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4 (क) वित्तीय स्थिति:-

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 07/2025 दिनांक 06.06.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट** - **"1"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2024-25	399814.72	43344.00	443158.72	78304.00	364854.72

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2024-25	1545846.00	7264481.00	8810327.00	6809600.00	2000727.00

कुल योग (1+2) = 364854.72 + 2000727.00 = **2365581.72**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31.03.2025 को ग्राम पंचायत की ऑनलाइन रोकड़ बहियों /वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तशेष **₹2365581.72** तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि **परिशिष्ट - "3" के अनुसार** अन्तशेष **₹2418028.72** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	स्वयं स्त्रोत	के. सी. सी. बैंक नगरोटा बगवां	50072745798	367191.72
2.	पांचवा वित्	के. सी. सी. बैंक नगरोटा बगवां	50073320365	73933.00
3.	वी.के.वी.एन. वाई	एच.जी.बैंक नगरोटा बगवां	88150100014882	127727.00
4.	एस.डी.आर.एफ	एच.जी.बैंक नगरोटा बगवां	88150100013908	42584.00
5.	15वांवितायोग/जिलापरिषद्/पंचायतसमिति	एच.डी.एफ.सी. बैंक नगरोटा बगवां	50100411581832	1806483.00
6,	हस्तगत शेष (स्व स्त्रोत की ऑनलाइन रोकड़ बही के अनुसार)			110.00
7.	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2025 का कुल योग :			2418028.72
<u>दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी :-</u>				
ऑनलाइन रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा4(क) अन्तशेष :-				**₹2365581.72**
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2025 का अन्तशेष:-				**₹2418028.72**
अंतर :-				**₹52447**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के अंतशेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में ₹0.52 लाख का अन्तर पाया जाना :-

ग्राम पंचायत की ऑनलाइन रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनांक 31-03-25 को ₹52447.00 की राशि का अन्तर बैंक में अधिक के रूप में पाया गया । पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के.के/एस.एम्.एल/एस.ए.डी.2025-9 दिनांक 09.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया,जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर क्रमांक संख्या 58 दिनांक 10.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों तथा बैंक शेषों का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्त्रोत में

कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 15(i)/2025 दिनांक 09.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 58 दिनांक 10.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि जमा निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान राशि ₹20.01 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **9** के अनुसारप्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-2}** के अनुसार दिनांक 31-03-2025 तक अनुदान राशि **₹2000727.00** उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के.के./एस.एम्.एल/एस.ए.डी/2025-10 दिनांक 09/06/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चाहड़ी से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 58 दिनांक 10.6.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वर्णित शेष अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.71 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना और मांग व संग्रहण पंजिका एवं सम्बन्धित रसीदों का अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹71,430.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.25 को शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " 4"** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। यदि पंचायत राजस्व बकाया राशि इसी तरह बढ़ती रही तो किसी एक समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो सकता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के.के/एस.एम्.एल/एस.ए.डी/2025-11 दिनांक 09.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 48 दिनांक 10.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इतना अधिक पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

व्यय

8.1 खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹7.79 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या XEN-(RD&PR) -DB-General/ 2023-1/204192/2023- 34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार सविंदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं (Contractor/Vendor) से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरांत ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट –"6"** में सलंग्न विवरण के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर/गटका इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को चुनिंदा मास के दौरान ₹779495/- का अनियमित भुगतान किया गया, जोकि पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवेहलना है एवं अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के.के/एस.एम्.एल/एस.ए.डी/2025-17 दिनांक 10.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके क्रमांक 58 दिनांक 10.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों/निर्देशों की जानकारी के अभाव व बिना "X और W" फॉर्म के क्रय की गई। अत: वर्तमान समय से उक्त फॉर्म प्राप्ति उपरांत ही भुगतान किया जा रहा है, उतर नियमों/निर्देशों के विरुद्ध होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" की प्राप्ति उपरांत ही किये जाने थे|

अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरुद्ध एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के विरुद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.11 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी.अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.20218 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबन्ध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतरराज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी./टी.डी.एस.की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 की तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सूचना एवं व्यय चयनित माह 03/2025 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु कुल राशि **₹564973/-** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी./टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹11299/-**की कटौती नहीं की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " 6"** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

क्र०स०	**दिनांक/विवरण**	**ठेकेदार/फर्म का नाम**	**परिशिष्ट के अनुसार भुगतान की गई राशि (₹)**	**स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) की राशि (₹)**
1	10.03.2025 परिशिष्ट-"6" अनुसार)	M/S Kuldip Raj Chahri Nagrota Bagwan	564973/- (Including GST)	11299.46/- Or say 11299/-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के.के/एस.एम्.एल/एस,ए.डी/2025-18 दिनांक 10.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 58 दिनांक 10.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उपरोक्त राशि का भुगतान किया गया,जिस पर जी.एस.टी./टी.डी.एस. की इस राशि की कटौती नहीं की गई ,जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत सम्बन्धित शीर्ष के खाते में जमा करवा दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः अंकेक्षणावधि के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी/ टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी/टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी/ टी.डी.एस. से सम्बन्धित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹0.73/– लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 03/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि **₹73,000**/–का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्रम संख्या	शीर्ष	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या /दिनांक/ मस्ट्रोल संख्या	कार्य का नाम	भुगतान की राशि (₹)	अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख
1.	मनरेगा	शून्य/21.03.2025	मस्ट्रोल 15987	निर्माण मबेशी आश्रय देशराज पुत्र निक्कु राम वार्ड 2	12000	माप-पुस्तिका
2.	मनरेगा	शून्य /06,21.03.2025	मस्ट्रोल 15326,15327, 15988	निर्माण मवेशी आश्रय कल्याणदास पुत्र रसीला राम वार्ड 3	28800	माप-पुस्तिका
3.	मनरेगा	शून्य /06,21.03.2025	मस्ट्रोल 15328,15989	निर्माण मवेशी आश्रय सुनील कुमार पुत्र ज्ञान चंद वार्ड 4	16200	माप-पुस्तिका
4.	मनरेगा	शून्य /06,21.03.2025	मस्ट्रोल 15329,15990	निर्माण मवेशी आश्रय शशि कुमार पुत्र होशियार वार्ड 4	11400	माप-पुस्तिका
5.	मनरेगा	शून्य /06.03.2025	मस्ट्रोल 15889	पौध रोपण व् भूमि विकास कार्य अमृत कुमार पुत्र कालिदास वार्ड 3	3000	माप-पुस्तिका
6.	मनरेगा	शून्य /06.03.2025	मस्ट्रोल 15890	पौध रोपण व् भूमि विकास कार्य विपन कुमार पुत्र ज्ञानचंद वार्ड 4	1800	माप-पुस्तिका
कुल योग					**73200**	

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के.के/एस.एम्.एल/एस.डी/2025-15(ii) दिनांक 16.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके क्रमांक 58 दिनांक 10.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि, माप पुस्तिकाओ को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत न कर पाना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यो सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित वांछित अभिलेख अंकेक्षाणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070-60-108-01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

नमूना अंकेक्षण व पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट " 5"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त कुल राशि **₹ 2,800.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस बारे अधियाचना संख्या 13/2025 दिनांक 09.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 49 दिनांक 10.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत

करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

1.हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र० सं०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता बही	29(1 से 3)	07
4.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31

2.हि• प्र• पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	सन्दर्भित नियम	फॉर्म संख्या
1	विकास कार्यों का निष्पादन रजिस्टर	34	07
2	अनुदान रजिस्टर	34	08

अधियाचना संख्या 14/2025 दिनांक 09.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 50 दिनांक 10.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त

सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या के.के/एस.एम्.एल/एस.ए.डी/2025-7 दिनांक 06.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 58 दिनांक 10.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

विविध अनियमितताएं:-

13.1 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, मास 03/2025 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे, जोकि उक्त

प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

15. **निष्कर्ष** :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

04 AUG 2025

5128 – 5132

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)464/2025–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
5. (पंजीकृत) सचिव, ग्राम पंचायत चाहड़ी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

04 AUG 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या – "4(क)")

FINANCIAL POSITION OF GP CHAHRI BLOCK NAGROTA BAGWAN DISTT. KANGRA (HP)-176047 FOR THE YEAR 2024-25

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	399814.72	43344.00	443158.72	78304.00	364854.72

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	1545846.00	7264481.00	8810327.00	6809600.00	2000727.00

सचिव
ग्राम पंचायत Chahri
विकास खण्ड नगरोटा बगवां
जिला कांगड़ा (हि. प्र.)

ANNEXURE -2 (पैरा ग्राफ – "6")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP CHAHRI BLOCK NAGROTA BAGWAN DISTT. KANGRA(H.P)FOR THE YEAR 2024-25

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH SFC	2024-25	1000.00	292933.00	293933.00	220000.00	**73933.00**
2	VKVNY	2024-25	46832.00	303931.00	350763.00	273036.00	**77727.00**
3	SDRF	2024-25	0.00	161068.00	161068.00	118484.00	**42584.00**
4	15TH FC/ZP/PS	2024-25	1498014.00	1018592.00	2516606.00	710123.00	**1806483.00**
5	MGNREGA	2024-25	0.00	5487957.00	5487957.00	5487957.00	**0.00**
		TOTAL	**1545846.00**	**7264481.00**	**8810327.00**	**6809600.00**	**2000727.00**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Keerchambal/Chahri
Dev Block Nagrota Bagwan

19

परिशिष्ट-3 (पैरा संख्या — "4(ख)")

कार्यालय ग्राम पंचायत चाहडी विकास खंड नगरोटा बगवां जिला काँगड़ा हि.प्र.176047

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत चाहड़ी के दिनांक 01-04-2024 व 01-03-2025 को बैंक शेष:-

क्र. सं.	अनुदान	बैंक	खाता सं.	बैंक शेष 01-04-2024 को	बैंक शेष 31-03-2025 को
01	स्वयं सत्रोत	के. सी .सी. बैंक नगरोटा बगवां	50072745798	399264.72	367191.72
02	पांचवा वित्	के. सी .सी. बैंक नगरोटा बगवां	50073320365	1000	73933
03	वी.के.वी.एन.वाई	एच. जी. बैंक नगरोटा बगवां	88150100014882	46832	127727
04	एस .डी.आर.एफ	एच. जी. बैंक नगरोटा बगवां	88150100013908	0	42584
05	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	एच. डी. एफ. सी बैंक नगरोटा बगवां	50100411581832	1603733	1806483
06	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			550	110
			कुल योग	2051379.72	2418028.72

सचिव
ग्राम पंचायत चाहड़ी
विकास खण्ड नगरोटा बगवां
तह० व जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

20

परिशिष्ट-4 (पैरा संख्या - 11.5)

ग्राम पंचायत चाहड़ी विकास खंड नगरोटा बगवां -176047

दिनांक 31.03.2025 को पंचायत क्षेत्र में 423 परिवारों में से सभी परिवारों से 100/- रु प्रतिवर्ष कि दर से सम्पतिकर वसूली हेतु शेष:-

अवधि	कुल परिवार	अथशेष	दर/प्रतिवर्ष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	अन्तशेष
2024-25	423	32030	100	42300	74330	2900	71430

परिशिष्ट-5 (पैरा संख्या - "10")

ग्राम पंचायत चाहड़ी विकास खंड नगरोटा बगवां -176047

अंकेक्षण अवधि 01-04-2024 से 31-03-2025 के दौरान प्राप्त विवाह पंजीकरण फीस /शुल्क

	क्र सं	नाम	रसीद संख्या	विवाह दिनांक	पंजीकरण दिनांक	बसूल की जाने राशि	प्राप्ति	अन्तशेष
Cash	1	विशाल चौधरी	332907	18-02-2024	12-04-2024	400	400	0
Cash	2	सुभम शर्मा	332910	04-02-2024	01-05-2024	400	400	0
(9.6.24) Cash	3	शेखर सिंह राणा	332913	12-04-2024	21-05-2024	400	400	0
Cash	4	अमन जम्बाल	332914	18-04-2024	21-06-2024	400	400	0
	5	विशाल चौधरी	332918	30-07-2024	29-08-2024	200	200	0
	6	मनीष कुमार	332931	04-12-2024	03-01-2025	200	200	0
	7	अजय कुमार	332932	07-12-2024	23-01-2025	400	400	0
	8	डिंपल कुमार	332939	18-01-2025	13-02-2025	200	200	0
	9	सौरव	332940	07-02-2025	04-03-2025	200	200	0
					योग		2800	

Chahm..

22

परिशिष्ट - 6 (पैरा "8.1" "8.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत चाहडी विकास खण्ड नगरोटा बगवां ,जिला कांगडा द्वारा हि0प्र0 –176047 द्वारा कय खनन निर्माण सामग्री										
क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0 /दिनांक	सामग्री	मात्रा/ प्रति घन फुट	दर	जी० एस० टी० 5%	कुल राशि	स्टॉक रजिस्टर पेज सं
1	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	442 23/01/2025	Crusher	18.5	1950	1804	37879	45
3	MGNREGA	Nil/10.03.2025	Akash Saini VPO Kawari	211 23/01/2025	Sand	9.5	2350	1116	23441	24
4	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	410 06/01/2025	Gatka	6.8	1930	657	13781	63
5	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	409 06/01/2025	Crusher	19.7	1950	1921	40336	44
6	MGNREGA	Nil/10.03.2025	Akash Saini VPO Kawari	193 06/01/2025	Sand	10	2350	1175	24675	24
7	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	421 12/01/2025	Gatka	10.5	1930	1013	21279	64
8	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	419 11/01/2025	Crusher	17.4	1950	1697	35607	45
9	MGNREGA	Nil/10.03.2025	Akash Saini VPO Kawari	198 12/01/2025	Sand	5.5	2350	647	12925	(AP)25
10	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	417 09/01/2025	Crusher	21.25	1950	2072	43510	44
11	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	418 09/01/2025	Gatka	9	1930	869	18239	64
12	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	438 22/01/2025	Gatka	8.2	1930	791	16598	(AP)64
13	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	437 22/01/2025	Crusher	19.5	1950	1901	39927	45
14	MGNREGA	Nil/10.03.2025	Akash Saini VPO Kawari	206 22/01/2025	Sand	10.4	2350	1222	25662	25
15	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	435 22/01/2025	Crusher	18.3	1950	1785	37470	44
16	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	436 22/01/2025	Gatka	7.5	1930	724	15199	63
17	MGNREGA	Nil/10.03.2025	Akash Saini VPO Kawari	205 22/01/2025	Sand	7	2350	823	17273	24
18	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	413 07/01/2025	Gatka	7.1	1930	684	14389	63
19	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	411 06/01/2025	Crusher	18.9	1950	1843	38698	44
20	MGNREGA	Nil/10.03.2025	Akash Saini VPO Kawari	194 07/01/2025	Sand	10	2350	1174	24675	24
21	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	430 19/01/2025	Gatka	10	1930	965	20265	64
22	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	429 18/01/2025	Crusher	17.2	1950	1677	35217	45
23	MGNREGA	Nil/10.03.2025	Akash Saini VPO Kawari	213 18/01/2025	Sand	9	2350	1056	22208	25
24	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	428 18/01/2025	Crusher	15.5	1950	1512	31737	45
25	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	428 18/01/2025	Gatka	5.5	1930	530	11145	45
26	MGNREGA	Nil/10.03.2025	Akash Saini VPO Kawari	201 18/01/2025	Sand	7.8	2350	916	19247	25
27	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	433 22/01/2025	Crusher	17.2	1950	1677	35217	44
28	MGNREGA	Nil/10.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	434 22/01/2025	Gatka	7.5	1930	724	15199	63
29	MGNREGA	Nil/10.03.2025	Akash Saini VPO Kawari	204 22/01/2025	Sand	9	2350	1058	22208	24
30	15TH FC	38/25.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	475/03.02.2025	Gatka	6	1930	579	12159	
31	15TH FC	40/28.03.2025	M/S Kuldeep Raj Vill Chahri PO Nagrota Bagwan	474/03.02.2025	Crusher	15.2	1950	1482	31122	
32	15TH FC	41/28.03.2025	Akash Saini VPO Kawari	225/NIL	Sand	9	2350	1058	22208	
						Total		Total	779495	

नोटः–1.उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा X और W फॉर्म प्राप्त किए ही कय की गई।

81

सचिव ग्राम पंचायत चाहडी विकास खण्ड नगरोटा बगवां जिला कांगडा (हि०प्र०)